सरकार
जो रखे सरोकार

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का एक वर्ष

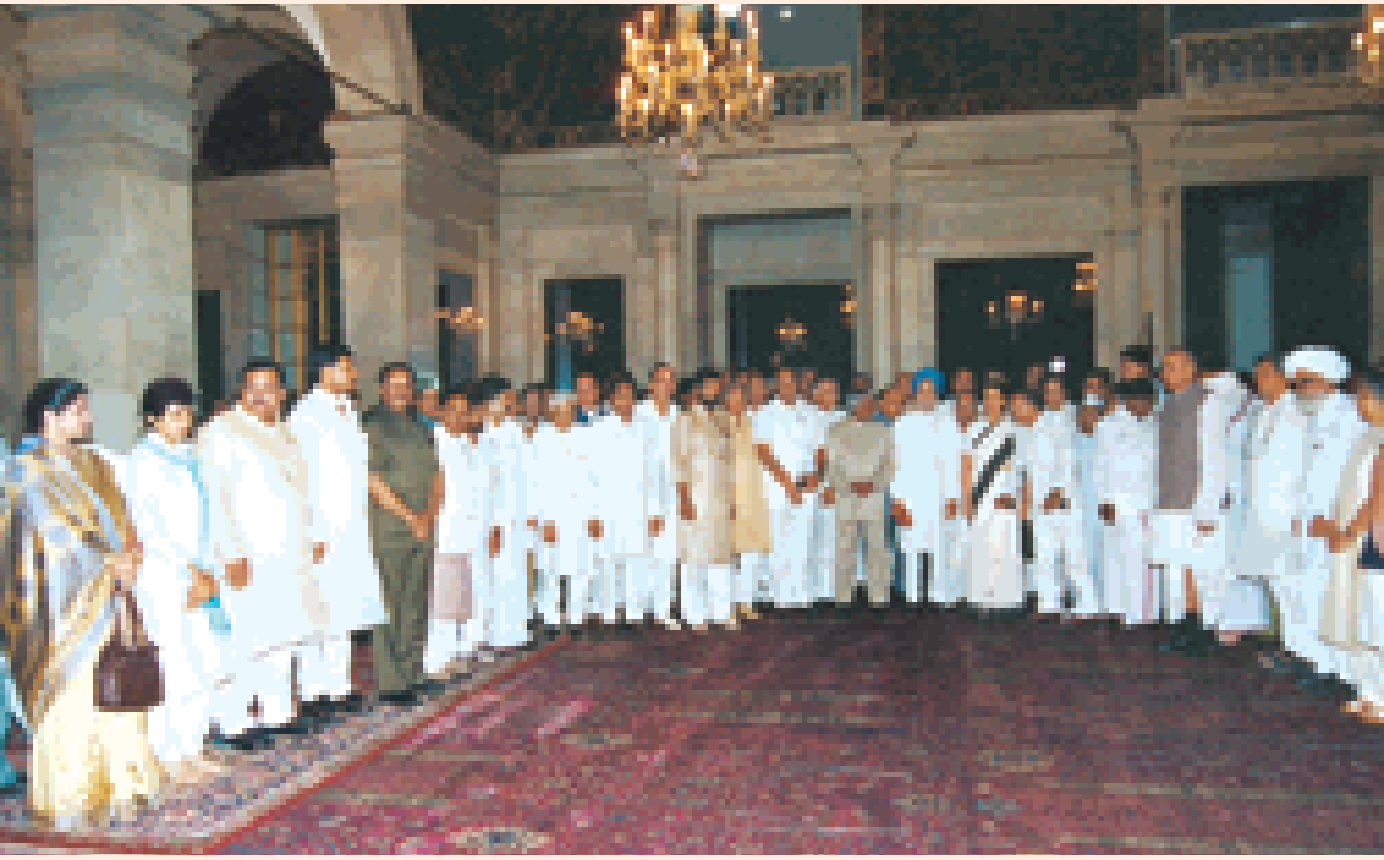

सरकार जो रखे सरोकार

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के प्रथम वर्ष की रिपोर्ट (मई 2004 -- मई 2005)

1. आम आदमी की सरकार

लोगों के कल्याण, भलाई तथा सुरक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा की गई सामाजिक और राजनैतिक पहल।

2. एक नयी शुरुआत

आर्थिक विकास में तेज़ी लाने तथा अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए की गई आर्थिक नीतिगत पहल।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सम्बंध

विषय सूची

1. आम आदमी की सरकार 9

(क) ''ग्रामीण भारत के लिए नयी पहल''..... 10
(ख) जन कल्याण..... 15
i. महिलाएं और बच्चे..... 15
ii. अल्पसंख्यक..... 17
iii. आदिवासी और दलित..... 19
iv. वरिष्ठ नागरिक..... 19
v. बेरोज़गार..... 20
vi. विकलांग..... 20
vii. कम विकसित क्षेत्र..... 20
viii. जनता के कल्याण के लिये अन्य कदम..... 21
(ग) ज्ञान-आधारित समाज का निर्माण 23
(घ) सुशासन..... 24
(ड.) जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के
लोगों के घावों पर मरहम 27

**2. एक नई शुरुआत-आर्थिक विकास को
पुनः गति प्रदान करना 29**

3. राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंध 33

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा..... 33
(ख) विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध..... 37

1. आम आदमी की सरकार

''राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का सार उन नीतियों को अपनाना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में लक्षित हों, साथ ही जिनसे बराबरी पर आधारित न्यायपूर्ण वितरण और रोज़गार के नए अवसर भी प्राप्त होते हों। हम चाहते हैं कि भारत चमके अर्थात प्रगति करे, किन्तु वह सबके लिए प्रगति करे। ''

- प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने मई, 2004 में कार्यभार संभाला था और उसे भारत के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, आर्थिक विकास में तेजी लाने, सामाजिक अमन-चैन तथा सामुदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने, सभी क्षेत्रों व समुदायों के सभी वर्गों का संतुलित विकास करने और "ग्रामीण भारत के लिए नई पहल" करने से संबंधित नीतियों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व मिला था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित इन उद्देश्यों के आलोक में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने अनेक नीतिगत कदम उठाए और राजनीतिक पहल कीं।

अतीत की बहुत कम सरकारों ने अपने घोषणा–पत्र में किये गये वादों को लागू करने की रफ्तार और उनके असर पर इतनी पैनी निगाह रखी है जैसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने। किसी सरकार के कार्यकाल में एक साल कोई लम्बा अरसा नहीं कहा जा सकता। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधिकतर महत्वपूर्ण वादों पर अमल किया है या अमल कर रही है। कई अन्य वादे पूरे होने वाले हैं और सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में सरकार इन वादों के अलावा समानता और कार्यकुशलता तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को आधार बनाकर निरंतर दीर्घकालीन विकास और प्रगति की ओर अग्रसर होगी।

(क) ''ग्रामीण भारत के लिए नई पहल''

ऐसे समय में जब खेती की दुर्दशा के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे, कृषि में निवेश घट रहा था तथा कृषि उत्पादन स्थिर हो रहा था, सरकार ने अपना कार्यभार संभालने के बाद ''ग्रामीण भारत के लिए नई पहल'' की है।

- **कृषि ऋण में वृद्धिः** कार्यभार संभालने के कुछ दिनों के भीतर ही सरकार ने किसानों को ऋण की उपलब्धता में भारी वृद्धि करने, एक साल में कृषि ऋण को 80,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,15,242 करोड़ रुपए **(एक वर्ष में 44% की वृद्धि)** करने जैसी पहलों की घोषणा की। इस वर्ष 50 लाख अतिरिक्त किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम** के लिए एक विधेयक संसद में लाया गया। इस विधेयक का मसौदा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। यह देश के कम से कम 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रत्येक गरीब परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के लिए एक कानूनी गारंटी का आधार प्रदान करेगा। धीरे-धीरे सम्पूर्ण देश में इसका विस्तार किया जाएगा।
- वर्ष 2004-05 के विपणन वर्ष के लिये **अतिरिक्त सरकारी खरीद :** भारत सरकार ने गेहूं और चावल की अपनी खरीद में 20 लाख मी.टन की बढ़ोतरी की है जिससे कुल सरकारी खरीद 4.08 करोड़ मी.टन हो गयी है।
- **विपणन सहायता योजना/बाज़ार समर्थनः** 2004-05 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने बाज़ार समर्थन योजना के अन्तर्गत 3,612 करोड़ रुपये संवितरित किये जबकि 2003-04 में 458 करोड़ रुपये ही दिये गये थे।
- ग्रामीण समुदाय की सहायता से एक व्यापक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** शुरू किया गया। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य हेतु बजटीय आबंटन को वर्ष 2004-05 में 8,420 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2005-06 में 10,280 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- वर्ष 2005-06 में 150 जिलों में **काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम** शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 50 लाख मी. टन खाद्यान्न और नकद घटक के लिए 4,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** शुरू की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के इस कार्यक्रम से सन् 2009 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित होगा।

- **राष्ट्रीय बागवानी मिशन** शुरू किया गया ताकि बागवानी विकास के लिए जिसमें अनुसंधान, उत्पादन, कटाई पश्चात् प्रबंध व्यवस्था और फलों तथा सब्जियों का विपणन शामिल है, फसल समेटने के पूरी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
- किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए **आवश्यक वस्तु अधिनियम** में संशोधन का प्रस्ताव किया गया।
- देश में खेती की स्थिति में सुधार लाने के सम्बंध में सरकार को परामर्श देने के लिए **किसान आयोग** को पुनर्जीवित किया गया।
- **कृषि के लिए योजना परिव्यय में 57.7%** तक की वृद्धि कर इसे 2650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4179.32 करोड़ रुपए किया गया।
- **कृषि बाजारों में सुधार** लाने के लिए कई राज्यों ने कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में संशोधन किया है।
- **बाजार के बुनियादी ढांचे के विकास** में निजी और सहकारी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विपणन अवसंरचना के विकास, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण की एक नई योजना स्वीकृत की गई।
- एक **ग्रामीण भण्डारण** योजना स्वीकृत की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीगत लागत पर सब्सिडी देकर भण्डारण क्षमता सृजित की जा सके।
- **पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता** के बजट परिव्यय में 43.93% तक की वृद्धि कर इसे सन् 2004-05 में 3300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सन् 2005-06 में 4750 करोड़ रुपए कर दिया गया।
- **अंत्योदय अन्न योजना** के अन्तर्गत 100 लाख अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया जाएगा।
- पिछले वर्ष के **गन्ना बकायों** में कटौती की गई जिन्हें अधिकतर प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया। गन्ना किसानों के बकाया में कुल 18.4 प्रतिशत की कमी आयी ।
- **कपड़ा उद्योग के विकास के लिए बड़ा पैकेज,** जिसमें कर राहत भी शामिल है, रखा गया। इससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और बहु-रेशा करार (मल्टी-फाइबर एग्रीमेन्ट) व्यवस्था के बाद की स्थिति में वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होगा। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन। इससे **कपास किसानों** को जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक पीड़ित किसानों में से हैं, सीधे लाभ मिलेगा।

- पटसन की मांग को बढ़ाने तथा पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक **राष्ट्रीय पटसन नीति** की घोषणा की गई है। भारतीय पटसन निगम का पुनर्गठन किया गया।
- किसानों द्वारा विशेषकर शुष्क भूमि, दूरदराज तथा आदिवासी क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले **जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना** शुरू की गई है। इस योजना से झीलों, तालाबों तथा जलाशयों सहित जल निकायों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि होगी और उनकी लुप्त अथवा क्षीण हो चुकी सिंचाई क्षमता फिर से बहाल होगी।
- **ग्राम संसाधन केन्द्र** सृजित किया गया ताकि एकल खिड़की के जरिए ग्रामीण स्तर पर अनेक ई-समर्थित, अंतरिक्ष तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसमें टेली-मेडिसिन, अनौपचारिक शिक्षा, मौसम की सूचना, आपदा प्रबंधन आदि शामिल हैं।

अगले कदम : भारत निर्माण

ग्रामीण भारत के लिए नई पहल का मूलाधार

भारत निर्माण सिंचाई, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन संपर्क के क्षेत्रों में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास की एक योजना है। **भारत निर्माण सेः**

- एक करोड़ हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को **सुनिश्चित सिंचाई** के अंतर्गत लाया जाएगा;
- 1000 की आबादी (अथवा पर्वतीय/आदिवासी क्षेत्रों में 500) वाले **सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा;**
- **गरीबों के लिए** 60 लाख अतिरिक्त **मकानों** का निर्माण किया जाएगा;
- जिन 74,000 बकाया बास्तियों में पेयजल नहीं पहुंचा है, वहां **पेयजल** उपलब्ध कराया जाएगा;
- शेष 1,25,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी तथा 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे; और
- टेलीफोन सुविधा से वंचित बकाया 66,822 गांवों को **टेलीफोन सेवा से जोड़ा जाएगा**।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में **ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित राष्ट्रीय समिति** भारत निर्माण के तहत शुरू किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की सीधे निगरानी करेगी।

(ख) जन कल्याण

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के कल्याण को अपनी नीतियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, बेरोजगारों और विकलांगों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया है। मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना भी सरकार की प्राथमिकता रही है क्योंकि मुद्रास्फीति की मार गरीब लोगों को ही सबसे अधिक झेलने पड़ती है। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं:

महिलाएं और बच्चे

- देशभर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में दोपहर **के समय पका भोजन देने की एक राष्ट्रीय योजना** शुरू की गई है। गर्मी के महीनों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन की एक विशेष योजना भी स्वीकृत की गई है।
- महिलाओं के कल्याण पर सरकारी खर्च के प्रभाव का आकलन करने के लिए केन्द्र सरकार के 18 मंत्रालयों में **जेंडर बजटिंग** की अवधारणा शुरू की गई है।
- **महिलाओं के काम के घंटों में लचीलापन** लाने के लिए फैक्ट्री अधिनियम,1948 की धारा 66 में संशोधन करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। इससे सेवा क्षेत्रों, विशेषकर सॉफ्टवेयर क्षेत्रों तथा डाटा क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार में मदद मिलेगी।
- **घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा** से संबंधित एक विधेयक संसद के अगले सत्र में रखा जाएगा।
- **महिलाओं को सशक्त बनाने** के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता, सती (रोकथाम) अधिनियम और **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम** में संशोधन किए जा रहे हैं।
- कार्य-स्थलों पर **महिलाओं के यौन-शोषण के खिलाफ कानून** तैयार किया जा रहा है।
- **पहचान किए गए खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे 80,000 बच्चों के पुनर्वास की** परियोजना।
- **राष्ट्रीय बाल आयोग** गठित करने के लिए एक विधेयक लोक सभा में लाया गया। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसमें बच्चों के अधिकारों पर ध्यान देने के लिए एक सांविधिक निकाय की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

- समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए सार्वभौमिक कार्यक्रम। भारत सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता में 1500 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की है, ताकि वे **बच्चों को परिपूरक पोषाहार** उपलब्ध करा सकें।
- अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों द्वारा भारतीय बच्चों को **गोद लेने (इंटर-कन्ट्री अडॉप्शन)** की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

अल्पसंख्यक

- एक **राष्ट्रीय आयोग** गठित किया गया है ताकि धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों का कल्याण और उनके लिये शिक्षा और सरकारी रोजगार में बेहतर आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को सीधे अनुसूचित विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की मंजूरी देने के लिए **अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों** के राष्ट्रीय आयोग का गठन, जिसके अंतर्गत शुरू में केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध करने का भी प्रावधान है।
- **मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट** तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 650 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को **संवैधानिक दर्जा** प्रदान करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया।
- उर्दू के विकास तथा स्कूलों में उर्दू भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय बजट सहायता।
- अल्पसंख्यक समुदाय के **विद्यर्थियों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग** की नई योजनाएं।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के लिए बजट प्रावधान को 21.29 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 71.9 करोड़ रुपये किया गया।

आदिवासी और दलित

- **सिविल सेवाओं में** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों के **आरक्षण** हेतु एक विधेयक पेश किया गया है। इस समय केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक निर्देशों के अन्तर्गत आरक्षण दिया जाता है । विधेयक आरक्षण को सांविधिक समर्थन मिलने से इसे कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।
- **आदिवासी समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों** का निपटान करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया है जिसे शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आदिवासियों के कब्जे वाली भूमि पर उनके ऐतिहासिक हकों को मान्यता दी जा सके।
- दलितों के कल्याण के लिए परिव्यय के प्रभाव का आकलन करने के लिए **मंत्रियों की दलित मामले सम्बंधी समिति**।
- **आदिम जातियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई।**
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एम.फिल. और पी-एच.डी. पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए **राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति** नामक एक नई योजना शुरू की गई।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्तियों हेतु बजट सहायता बढ़ाई गई। **उत्कृष्ट संस्थानों** में प्रवेश लेने वाले **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना** शुरू की गई।
- सरकार द्वारा आरक्षित पदों/कोटे की पिछली रिक्तियों को भरने के लिए **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती** में तेजी लाई गई है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल सचिव इसकी निगरानी कर रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिक

- पेंशन योजनाओं के अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए **नई पेंशन योजना** के अंतर्गत पेंशन कोष बनाकर, विनियमित कर तथा उसका विकास कर वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक **पेंशन कोष विनियामक तथा विकास अधिकरण** की स्थापना।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की गई। यह योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आकर्षक लाभ के साथ पूंजी निवेश के जोखिम-मुक्त अवसर प्रदान करती है।

बेरोजगार

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम** के लिए एक विधेयक संसद में लाया गया।
- वर्ष 2005-06 के लिए 150 ज़िलों में **काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम** शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए अनाज की मात्रा बढ़ाकर 50 लाख मी. टन और नकद धनराशि 4,500 करोड़ रुपए कर दी गयी है।
- बीमाशुदा ऐसा व्यक्ति जो फैक्ट्री अथवा प्रतिष्ठान के बंद होने या छंटनी होने या सेवा इतर दुर्घटना में स्थायी तौर पर हुई अशक्तता के कारण मजबूरी में बीमायुक्त रोज़गार छोड़ देता है, उसके लिए **बेरोज़गारी भत्ता योजना**।
- **असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए विधेयक** तैयार किया जा रहा है।

विकलांग व्यक्ति

- विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता राशि की पात्रता की सीमा बढ़ा दी गई है जो अब 100% छूट के लिए 5000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 6500 रुपए प्रतिमाह और 50 प्रतिशत छूट के लिए 6501 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।
- शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवाओं में कोटा।

कम विकसित क्षेत्र

- देश के कम विकसित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए वर्ष 2005-06 में 5,000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ एक **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष** की घोषणा की गई। इस कोष से पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के जरिए 170 पिछड़े जिलों के आर्थिक विकास में मदद दी जाएगी।

जनता के कल्याण के लिए अन्य कदम

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सहित खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी रखने के लिए योजना आयोग में **खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा निगरानी** नाम का संगठन बनाया गया। यह संगठन देश में खाद्य उपलब्धता की स्थिति पर प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
- मंत्रिमण्डल ने **राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण** के गठन को स्वीकृति दे दी है। सुनामी आपदा के दौरान बचाव, राहत और पुनर्वास के कार्यों से अनुभव लेकर इस पहल को आकार दिया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों में **सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज** शुरू किया गया।

(ग) ज्ञान-आधारित समाज का निर्माण

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के तहत देश में शैक्षिक प्रणाली को ज्ञान रूपी पिरामिड के निचले तथा शीर्ष दोनों ही स्तरों पर मजबूत बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है।

- 2% शिक्षा उपकर से प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता पर सरकारी व्यय में भारी वृद्धि संभव हुई है। प्रारंभिक शिक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अव्यपगत कोष **प्रारंभिक शिक्षा कोष** बनाया गया है। बजट आबंटन को 2004-2005 में 8,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2005-2006 में 12,532 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- सरकार और सिविल समाज के बीच व्यापक विचार-विमर्श को सुचारु बनाने के लिए **केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड** को और अधिक कार्यशील बनाया गया है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा **स्कूली पाठ्यक्रमों का परिशोधन एवं आधुनिकीकरण**।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली को सभी स्तरों पर आधुनिक बनाने के लिए **राष्ट्रीय ज्ञान आयोग** गठित किया गया।
- टेक्नोलॉजी विजन 2020 मिशन स्वीकृत किया गया। इस पर 345 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- **राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी रणनीति** का प्रारूप टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया। चार नए बायो-टेक पार्क शुरू किए जाएंगे जो कर्नाटक (दवा एवं औषधि), पंजाब (कृषि व्यापार), केरल (परंपरागत औषधियां) और हिमाचल प्रदेश (औषधीय एवं सुगंध वाले पौधे) में होंगे।
- इंटरनेट पर "in" डोमेन का शुभारंभ किया गया।

(घ) सुशासन

अच्छा और पारदर्शी शासन मुहैया करवाना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु प्रशासन में सुधार लाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

- **सूचना का अधिकार विधेयकः** इस नए विधेयक का अधिकार क्षेत्र काफी व्यापक है जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं,स्थानीय निकाय और सरकारी अनुदान पाने वाले निकाय शामिल हैं तथा इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है।

कुशल और प्रभावी संस्थाएं द्रुत आर्थिक विकास की कुंजियां हैं। संस्थाएं, जो वायदों को नीतियों और कार्रवाई योग्य कार्यक्रमों में बदल सकती हैं; संस्थाएं, जो किए गए वायदों को पूरा कर सकती हैं और ''परिव्ययों को परिणामों'' में बदल सकती हैं। संस्थाएं कुशल एवं प्रभावी हों, इसके लिए उन्हें पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील और जवाबदेहपूर्ण तरीके से कार्य करना होगा। यह न केवल संस्थाओं की आन्तरिक प्रक्रियाओं पर बल्कि इन संस्थाओं पर अपने अधिकारों के लिए दबाव बनाने की नागरिकों या बाहरी एजेंटों की योग्यता पर भी निर्भर करता है। सूचना का अधिकार विधेयक से एक और अधिकार अमल में आएगा जो इस बारे में ''नागरिकों को सशक्त'' बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी संस्थाएं और उनके पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन वांछित ढंग से कर रहे हैं। यह अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार को अमल में लाएगा और नागरिकों के अधिकारों की एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करेगा।

- संसद में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह

- सरकारी अधिकारियों के लिए **आचार संहिता** तैयार की जा रही है।
- मंत्रियों और अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वायतता** का सम्मान करें और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ''निजी जागीर'' न समझें।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए **कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पी.ए.आर.)की नई व्यवस्था** आरंभ की गई है।

- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए **कैरियर के मध्य में प्रशिक्षण** की नई व्यवस्था शुरू की गई है।
- 10 संघटकों और 25 मिशन मोड परियोजनाओं को लेकर **ई-गवर्नेन्स की एक राष्ट्रीय कार्य योजना** तैयार की गई है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय सुव्यवस्थित प्रशासन संस्थान** गठित करने और सभी राज्यों में राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क्स के सृजन के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है जिस पर 3,300 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग **नागरिकों के विशेष अधिकारों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता** की पहचान के लिए और **शिकायत निवारण तंत्रों के लिए रेटिंग प्रणाली** विकसित करने हेतु चार्टर मार्क योजना तैयार कर रहा है। इसके एक प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जा रहा है।
- **पोटा को समाप्त किया गया** और गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया गया।
- **साम्प्रदायिक सौहार्द** संबंधी एक विधेयक तैयार किया जा रहा है।

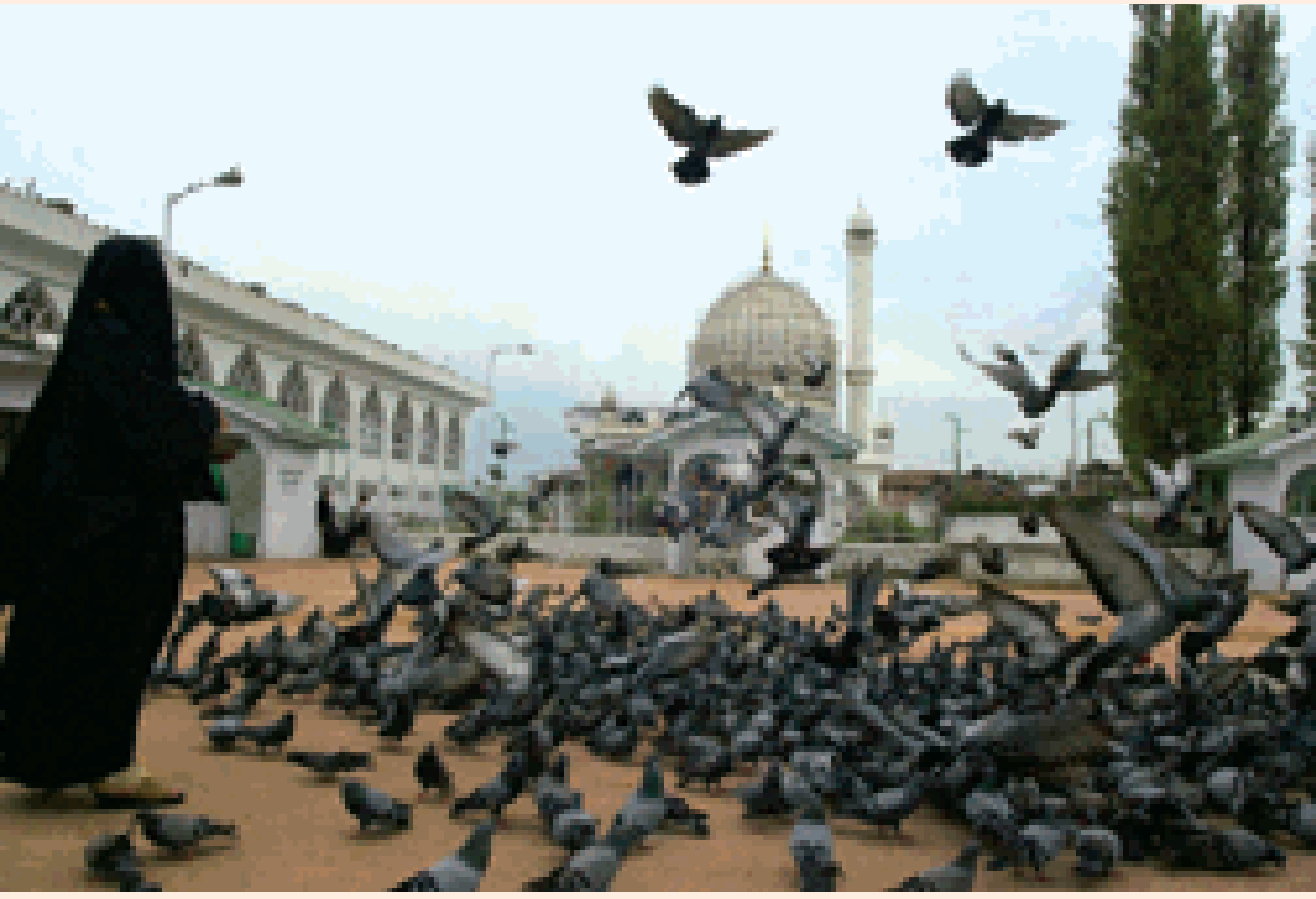

(ड.) जम्मू - कश्मीर और पूर्वोत्तर के लोगों के जख्मों पर मरहम

- जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों तथा साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों सहित देश के तमाम समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शांति और खुशहाली लाने की कुंजी राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक गुटों द्वारा फैलाई गई हिंसा के विरुद्ध लोगों को ज्यादा प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने के अलावा एक बेहतर और अधिक मानवीय शासन उपलब्ध कराना भी है। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और वहां के लोगों के ''जख्मों पर मरहम'' लगाया जिससे इन क्षेत्रों में हिंसा में कमी आई और स्थिति काफी हद तक सामान्य हुई।

- 10 महीने की अवधि में तीन बार जम्मू-कश्मीर की यात्रा करके प्रधानमंत्री ने **जम्मू-कश्मीर के विकास और पुनर्निर्माण के लिए एक दीर्घकालिक योजना** का सूत्रपात किया। जम्मू-कश्मीर के दीर्घकालिक विकास को दिशा देने के लिए डॉ.सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक **उच्च स्तरीय समिति** का गठन किया गया।

- जम्मू-कश्मीर में की गई बड़ी पहलों में सरकारी सेवा में भर्ती पर लगा प्रतिबंध समाप्त करना, सन् 2007 तक सभी गांवों के विद्युतीकरण की योजना और सन् 2009 तक सभी घरों को बिजली के कनेक्शन देना शामिल है। 1000 लघु जल विद्युत परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण कर उसे अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। राज्य पुलिस के लिए 5 अतिरिक्त भारतीय आरक्षी बटालियनों की स्थापना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा अन्य सुरक्षा बल बटालियनों में भर्ती, जिससे 10,000 नए रोजगार पैदा हुए। समूचे राज्य में महिलाओं के लिए 14,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 6,817 आंगनबाड़ियों, राज्य भर में स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण। प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम के लिए 8,000 शिक्षकों को वेतन के रूप में सहायता। सूचना व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बी.पी.ओ. नौकरियों के लिए प्रशिक्षण। राज्य भर में 50 पर्यटक ग्रामों का निर्माण किया जाएगा। व्यापार मेलों और यात्राओं में भाग लेने के लिए ट्रेवल एजेंटों को सहायता।

- प्रधानमंत्री ने **मणिपुर** में बड़े ही प्रतीकात्मक और भावनात्मक रूप में ऐतिहासिक कांगला किले को मणिपुर की जनता को समर्पित किया जिसका लोगों ने हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम को अधिक मानवीय बनाने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति का भी गठन किया है। सभी आदिवासी ग्रामों का 4 वर्ष के भीतर विद्युतीकरण किए जाने का आश्वासन दिया गया। मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। राज्य की

राजधानी के नये परिसर के निर्माण के लिए भारत सरकार की सहायता।

- पूर्वोत्तर परिषद को पुनः सक्रिय किया गया। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषित किया गया। पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क, रेल, हवाई तथा दूरसंचार सम्पर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहलों की घोषणा की गई। गुवाहाटी हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया।
- असम समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए 16 वर्षों के पश्चात भारत सरकार, असम सरकार और अखिल असम छात्र संघ के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक।

2.एक नई शुरुआत - आर्थिक विकास को पुनः गति प्रदान करना

हम सृजनशीलता, जोखिम उठाने और उद्यम एवं साहसिक कार्य की भावना को पुरस्कृत करने के लिए वातावरण तैयार करेंगे। रोजगार सृजित करने, गरीबी को कम करने तथा कृषि, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में नए निवेश के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए हमें अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण की वृद्धि दर को बढ़ाना ही होगा। अपनी सरकार की ओर से मैं यह वादा करता हूं कि हमारी सरकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया को नई-ऊर्जा प्रदान करेगी तथा निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक नीति और राजनीतिक माहौल पैदा करेगी

- प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह

आर्थिक नीति के क्षेत्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने तथा कीमतों को स्थिर बनाए रखने पर केंद्रित रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए और ऐसे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक समितियां गठित की हैं जिससे भारतीय अर्थ-व्यवस्था को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हुए उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त की जा सके और अधिक रोजगार सृजित किए जा सकें। सरकार ने सार्वजिनक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने तथा सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। दो महत्वपूर्ण संस्थागत पहलें की गई हैं जिनमें पहली, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **बुनियादी ढांचे के सम्बंध में राष्ट्रीय समिति** तथा दूसरी, श्री रतन टाटा की अध्यक्षता में **निवेश आयोग** के गठन के बारे में है। अर्थ-व्यवस्था में लगभग 7% वृद्धि होने की संभावना है। सरकार विकास दर को और बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए बुनियादी ढांचे और कृषि में अधिक निवेश तथा सरकारी वित्त व्यवस्थाओं में सुधार करना आवश्यक है।

- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के समय **मुद्रास्फीति दर** 8% से अधिक थी, जो विश्व में तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद आज **घटकर** लगभग 5% हो गई है। ऊर्जा की उच्च लागत के कारण तेल की कीमतों पर बराबर दबाव बना हुआ है, परन्तु सरकार कीमतों को स्थिर रखने के लिए बचनबद्ध है।
- **आर्थिक क्रिया-कलापों में आई तेजी** इस बात से साफ दिखाई देती है कि निर्यात में 16% की लक्षित दर की तुलना में 27% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन लगभग 9% की दर से बढ़ रहा है और गैर-खाद्य उत्पादों में 21% की वृद्धि हुई है।

- **बुनियादी ढांचे का विकास** सरकार का मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कार्य में तेजी आई है तथा पोतपत्तन और रेल आधुनिकीकरण ने हाल में अति उच्च स्वरूप प्राप्त कर लिया है। दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश अत्यधिक तेजी से बढ़ा है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए निधि जुटाने के लिए **विशेष वित्तीय उपाय** किए गए हैं।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** की सीमाओं को **बुनियादी ढांचे** और सेवा क्षेत्रों तथा टेलीकॉम और बैंकिंग सहित अनेक क्षेत्रों में कम कर दिया गया है। भारतीय पोतपत्तनों और पोत परिवहन को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए **टनभार कर** शुरू किया गया है।
- बजट 2005-06 में वर्तमान वर्ष के लिए 5,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक वृहत **राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन** की घोषणा की गई है। इस निधि का उपयोग स्लम सुधार, शहरी सार्वजनिक परिवहन, हरित क्षेत्रों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा ताकि शहरों को रहने के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके।
- **राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर 20 राज्यों में** 01 अप्रैल, 2005 से **लागू किया गया** है। अब तक हरियाणा समेत 23 राज्यों में वैट लागू हो चुका है।
- **2004-05 और 2005-06 के लिए केन्द्रीय बजट** के माध्यम से शुल्क नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति और राजकोषीय नीति के क्षेत्र में अनेक **सुधारात्मक उपायों** की घोषणा की गई है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधनों के माध्यम से **भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता** को सुदृढ़ किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और उदारीकरण को भी आगे बढ़ाया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाया गया है। **राष्ट्रीयकृत बैंकों को कारोबार की अधिक स्वायत्तता** प्रदान की गई है।
- एक **नई राष्ट्रीय विद्युत नीति** की घोषणा की गई है ताकि अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा मिल सके। भारत निर्माण के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में नए निवेश को सुलभ बनाया जाएगा। त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम, नीतियों में सुधार के साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है।
- **पेटेंट अधिनियम, 2005** बनाया गया है।
- **निर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेशः** नगरीय, आवासीय, निर्मित बुनियादी ढांचे के विकास और निर्माण विकास परियोजनाओं के लिए स्वचल मार्ग के अधीन शत-प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई।

- **पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में** सड़क, वायु और टेलीकॉम कनेक्टीविटी सहित, **बुनियादी ढांचे के विकास** के लिए 1500 करोड़ रुपए के परिव्यय की नई योजना तैयार की गई है।
- 24,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे के आधुनिकीकरण की पंचवर्षीय योजना का कार्य शुरू।
- रेलवे द्वारा माल लदान में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले दशक की औसत वृद्धि की तुलना में दोगुनी है।
- माल भाड़े को सरल, युक्तिसंगत और पारदर्शी बनाया गया। रसोई गैस और मिट्टी के तेल मालभाड़े में क्रमशः 3 और 4 प्रतिशत की कमी की गई।
- यात्री किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं । यात्री किराये से होने वाली आमदनी 2004-05 में 6 प्रतिशत बढ़ी।
- **नीतिगत कार्ययोजना का मुख्य क्षेत्र नागर विमानन रहा है।** विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण, महत्वपूर्ण बाजारों के साथ वायुसीमा को खोलना और राष्ट्रीय हवाई सेवा के लिए नए विमानों की खरीद भारत के नागर विमानन क्षेत्र को अत्यधिक गति प्रदान करेगी।
- किसी अन्य देश की सीमा में किसी भी स्थान पर नामित एयरलाइंस की मुक्त आवाजाही के लिए **अमरीका के साथ विमान सेवा करार** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **अंतरराष्ट्रीय मार्गों को निजी विमान कंपनियों के लिए खोल दिया गया है।**
- लगभग एक दशक के अंतराल के बाद एयर इंडिया में **नए विमानों** को शामिल किया जा रहा है। इंडियन एयरलाइंस 43 विमान खरीद रही है।
- **नागर विमानन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** को स्वचल मार्ग के माध्यम से 49% और अनिवासी भारतीयों के द्वारा स्वचल मार्ग के माध्यम से 100% तक बढ़ा दिया गया है।।
- दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों के पुनर्निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है। बंगलौर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन का रियायत करार भी मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
- लघु उद्योगों की सूची से अधिक उद्योगों को अनधिसूचित करके **लघु उद्योग नीति को और उदार बनाया गया** है। संसद में लाया गया लघु और मध्यम उद्यम विधेयक, 2005 लघु और मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंध

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा

- भारत की बाहरी सुरक्षा सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। पिछले वर्ष देश के सुरक्षा परिवेश में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने देश के सुरक्षा हितों से कोई समझौता किए बिना पोटा कानून निरस्त किया। सांप्रदायिक और जातीय हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक भागों में स्थिति सामान्य हो रही है और जम्मू व कश्मीर में भी नियंत्रण रेखा और सीमा पर बाड़ लगाने के कारण सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी हुई है।

- आंतरिक सुरक्षा के बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में देश के सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री और सभी मुख्य मंत्रियों ने दिन भर की समीक्षा बैठक में भाग लिया।

- सरकार ने मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को निरस्त करने की मांग की जांच के लिए एक समिति गठित की है। सरकार ने नगा और नक्सली ग्रुपों के साथ बातचीत जारी रखी है।

- हाल के महीनों में सरकार ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के आधुनिकीकरण के लिए निधियों के आवंटन में वृद्धि हुई है। हल्के युद्धक विमान ''तेजस'' के तीन प्रोटोटाइप, का उड़ान परीक्षण चल रहा है और इन्होंने सुपरसॉनिक (आवाज़ से तेज रफ्तार वाली) उड़ानों सहित 307 परीक्षण उड़ानें पूरी की हैं। स्वदेशी आधार पर विकसित नए प्रकार के अनेक उपस्करों का, जिनमें प्रक्षेपास्त्र भी शामिल हैं, परीक्षण किया गया है और इन्हें शामिल किया गया है। सुपरसॉनिक प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मोस जो कि रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम है, सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को सफलतापूर्वक शामिल कर लिया गया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग सृजित करके अपना वायदा पूरा किया है।

- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने **पहले प्रयोग न करने की नीति के साथ विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध क्षमता** बनाए रखने की भारत की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की है। व्यापक विनाश के हथियारों पर विधेयक और उनको छोड़ने वाली प्रणालियों (गैरकानूनी गतिविधि निषेध) से सम्बंधित विधेयक, 2005 संसद द्वारा पास कर दिया गया है।

- नई दक्षिणी पश्चिमी थल सेना कमान का गठन किया गया है।

(ख) विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध

हम ऐसे विश्व में जी रहे हैं जहां नित्य नई चुनौतियों के साथ द्रुत गति से परिवर्तन हो रहा है। भारत के आर्थिक शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभरने से विश्व के शेष देशों के साथ हमारे संवाद का दायरा और संबंध बढ़ा है। हमारे लिए, हमारी विदेश नीति की मुख्य चुनौती क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय वातावरण सृजित करना और उसे बनाए रखना है जिससे हम आर्थिक विकास की उच्च दर को प्राप्त करने, भारतीय उद्यमिता के लिए और अधिक अवसर सृजित करने में सक्षम हो सकें और भारत प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानने में सक्षम हो सके। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले एक वर्ष के दौरान मेरी सरकार ने हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध विशेषकर, चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने ऊर्जा कूटनीति पर विशेष बल देते हुए आर्थिक कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने अनेक देशों और आसियान सहित अनेक क्षेत्रीय संगठनों के साथ मुक्त व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करने अथवा व्यापक आर्थिक भागीदारी करार करने के लिए कदम उठाए हैं। ऊर्जा संसाधनों के लिए हमारी खोज ने सूडान जैसे देशों में बड़े पैमाने पर निवेश करने और मध्य एशिया में खोज के लिए हमें प्रेरित किया है। राजनीति और अर्थ-व्यवस्था को अब राष्ट्र के रूप में भारत के समग्र हितों की सेवा के लिए एक साथ मिलकर काम करना है। जहां हम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित विदेश नीति के मान्य सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहे हैं और दोनों उत्तरवर्ती सरकारों ने इनका यथावत अनुपालन किया है, वहीं हम तेजी से बदल रही विश्व व्यवस्था द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के प्रति भी सजग हैं और हमारे सामने आने वाली नई उभरती चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए राष्ट्र के रूप में हमारे पास क्षमता भी है। आज हमारे विकास के मार्ग में कुछ ही बाहरी बाधाएं रह गई हैं क्योंकि हमने अपने विकास के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तैयार करने के लिए कठोर परिश्रम किया है। आत्म विश्वासी और संगठित राष्ट्र के रूप में भारत की नई छवि निरंतर राजनैतिक मतैक्य का परिणाम है जो सदैव ही हमारी विदेश नीति की पहचान रही है।

-प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह

- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का **लक्ष्य हमारे विदेश सम्बंधों के संचालन में राष्ट्रीय हितों की सर्वोपरिता और हमारे आर्थिक हितों की खोज पर** ध्यान केन्द्रित करना है। सरकार ने हमारे विकल्पों की स्वतंत्रता को बनाए रखने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, हमारी चिंताओं के प्रति सजग हो कर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय वातावरण को और अधिक सुरक्षित बनाने का सरकार का प्रयास सफल रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमारे सभी पड़ोसियों, हमारे सभी आर्थिक भागीदारों और पारंपरिक मित्रों के साथ अच्छे सम्बंध बनाए रखने के महत्व पर बार-बार बल दिया है।
- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार **दक्षिण एशिया** में शांति स्थापित करने और समृद्धि लाने तथा सभी पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को अत्यधिक महत्व देती है। इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने और लोकतंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
- सुनामी त्रासदी से निपटने में **श्रीलंका** को सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों को अच्छे मेलजोल के प्रतीक के रूप में सराहा गया है।
- गणतंत्र दिवस के अवसर पर भूटान नरेश की भारत यात्रा, **भूटान** के आर्थिक विकास में भारत की सकारात्मक भूमिका को दर्शाता है।
- म्यांमार, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, मालदीव, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कतर, ईरान और हमारे **सुदूर पड़ौस** के अन्य देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बैठकों से इन देशों के साथ हमारे बढ़ते और व्यापक संबंध मजबूत हुए हैं।
- भारत ने **नेपाल** की राज व्यवस्था के दो स्तंभ यानी, संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा कर नेपाल में चल रहे घटनाक्रम पर सैद्धांतिक रुख अपनाया है।
- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने भारत की **पूर्वोन्मुख नीति** को नया जीवन दिया है, जिसका शानदार परिणाम है भारत को वर्ष 2005 के अंत में होने वाले पूर्व-एशियाई शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना।
- बैंकाक में हुए **बिमस्टेक शिखर सम्मेलन तथा विएनतिएन** में हुए **आसियान शिखर सम्मेलन** में भारत की प्रभावी भागीदारी और इंडोनेशिया में हुए **एशियाई-अफ्रीकी शिखर सम्मेलन** में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नेतृत्व प्रदान किया जाना एशियाई देशों के साथ भारत की बढ़ती और घनिष्ठ होती दोस्ती को प्रमाणित करता है। भारत और आसियान घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के लिए कार्य करने पर सहमत हुए हैं।

- चीन के प्रधानमंत्री **वेन जिया बाओ** और जापान के प्रधानमत्री **जुनिचिरो कोईजुमी** की दिल्ली यात्रा के दौरान एशिया के साथ संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं।
- सीमा विवाद के समाधान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और राजनीतिक मानदंडों पर **चीन** के साथ करार हुआ है। भारत-चीन संबंधों ने रचनात्मक और सहयोगपूर्ण भागीदारी के नए चरण में प्रवेश किया है। **चीन ने औपचारिक रूप से सिक्किम को भारत का अंग मान लिया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के प्रति सकारात्मक रुख का संकेत दिया है।**
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच न्यूयार्क और नई दिल्ली में हुई बैठकों से **भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।** उनके संयुक्त वक्तव्य में 6 जनवरी, 2004 के आश्वासन को पूरा करने की पाकिस्तान की वचनबद्धता पर बल दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन क्षेत्र से आतंकवाद को किसी भी तरह का समर्थन नहीं दिया जाएगा और इस बात पर भी बल दिया गया है कि आतंकवाद से शांति प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि सभी वर्गों के लोगों में विश्वास बहाली के उपायों पर अमल किया जाएगा।
- **श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा** का शुभारम्भ, अमृतसर-ननकाना साहिब बस सेवा और खोकरापार-मुनाबाओ रेल संपर्क सहित जैसे अन्य प्रस्तावों को अमल में लाने तथा तेल और गैस पाइपलाइनों की व्यवहार्यता की जांच करने के निर्णय ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है।
- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही कि **ग्रुप-4** (जी-4) के देशों-ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी-अपनी दावेदारी एक स्वर से प्रस्तुत की है।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री कोईजुमी जैसे अन्य महत्वपूर्ण विश्व नेताओं के बीच हुई बैठकों से हमारे द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और व्यापक हुए हैं।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जार्ज बुश के बीच हुई बैठक से **भारत-अमेरिका नीतिगत भागीदारी** के आगे की प्रगति और रणनीतिक भागीदारी के परवर्ती सोपानों के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए दिशा मिली है। भारत और अमेरिका विस्तृत आर्थिक और रक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने तथा व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार की आवश्यकता पर सहमत हैं। **अमेरिका के साथ मुक्त वायु**

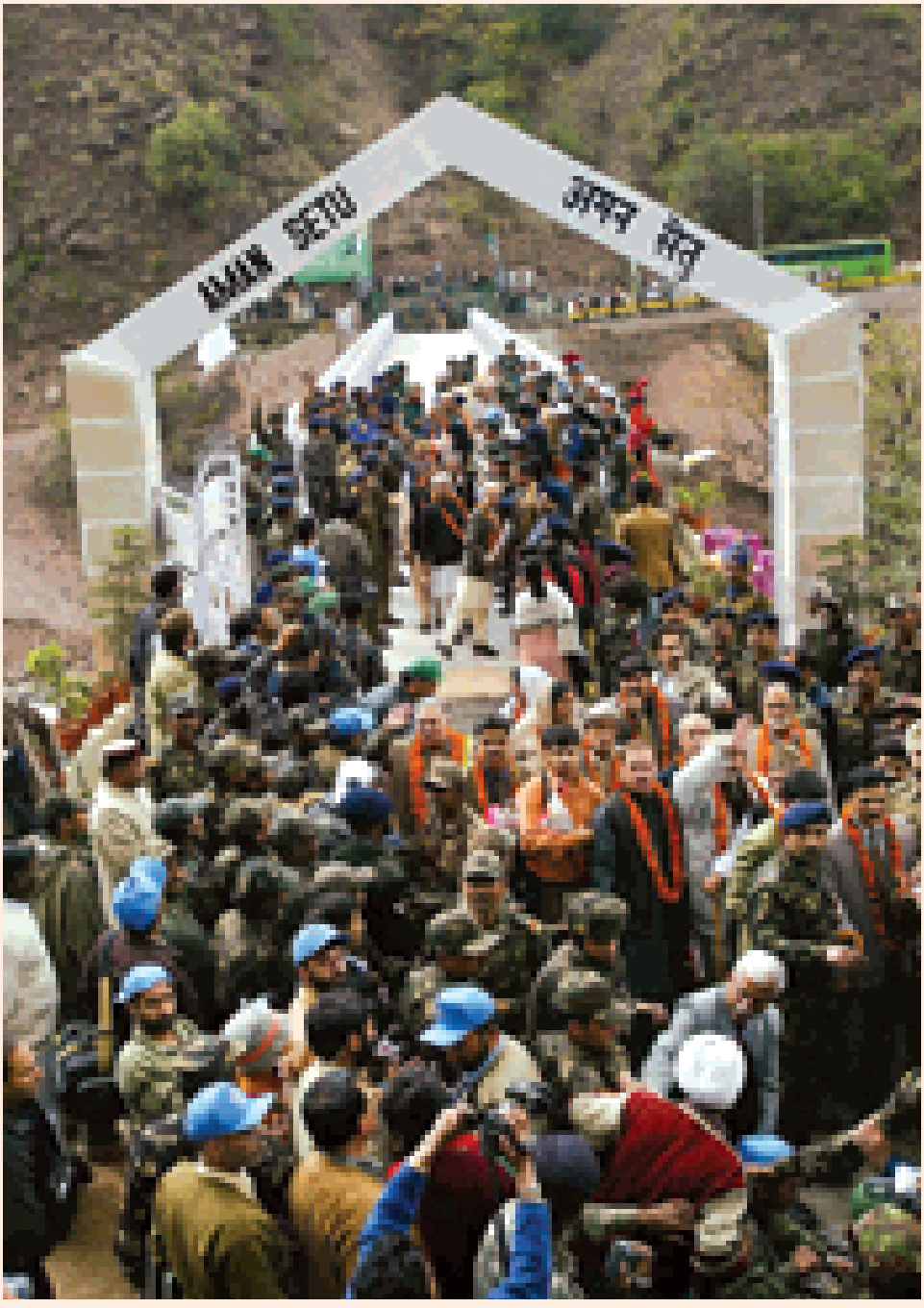

सीमा करार होने से अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों को पुनः बल मिला।

- 28 और 29 अप्रैल, 2005 को जापान के प्रधानमंत्री कोईजुमी की भारत यात्रा से **सतत और कारगर रणनीति तथा सहयोगात्मक संबंधों की शुरुआत हुई है।** जापान भारत के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, मुंबई और दिल्ली तथा दिल्ली और कोलकाता के बीच उच्चगति वाले मालवाहक रेलमार्ग की एक बड़ी परियोजना की स्थापना पर विचार करने के लिए सहमत हुआ है। जापान भारतीय शैक्षिक संस्थानों में जापानी भाषा के प्रशिक्षण के लिए सुविधा मुहैया कराने पर भी सहमत हुआ है। इससे हमारे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को उस देश के विस्तृत और बढ़ते साफ्टवेयर बाजार में सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति पुतिन के बीच नई दिल्ली और मास्को में हुई बैठकों के दौरान **रूस** के साथ भारत की पारंपरिक मैत्री तथा विशेष संबंधों को और अधिक बल मिला है। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को भी बल मिला है जिससे हमारे संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं।
- जुलाई, 2005 में स्काटलैंड में आयोजित होने वाले **जी-8 शिखर सम्मेलन** में भाग लेने के लिए भारत को दिया गया आमंत्रण भी भारत के प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का प्रमाण है।
- नवंबर, 2004 में आयोजित 5वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में **भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी** के बारे में लिए गए निर्णय से **यूरोपीय संघ** के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। यह भागीदारी प्रमुख क्षेत्रीय और विश्व-शक्ति के रूप में भारत के बढ़ते महत्व की पहचान है।

''हमारी विदेश नीति का स्वरूप वस्तुतः हमारे सभ्यताई मूल्यों तथा शांति और स्वतंत्रता की हमारी वचनबद्धता पर आधारित है। साथ ही, जैसा कि पंडितजी ने कहा था, यह मुक्त समाज और मुक्त अर्थ-व्यवस्था के ढांचे के भीतर हमारे आर्थिक विकास तथा सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए हमारी वचनबद्धता पर आधारित है। यह हमारी भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में अपने खोए हुए स्थान तथा विश्व में आर्थिक हैसियत को पुनः प्राप्त करने की उत्कंठा पर भी आधारित है। इसका स्वरूप अपने पड़ोसियों तथा आर्थिक सहभागियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा पर आधारित है। यह हमारे पड़ोसियों के साथ परस्पर शांति, स्वतंत्रता और विकास संबंधी हमारी दृढ़ और सच्ची वचनबद्धता पर आधारित है।''

- प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह